

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)/(289/2011)/अलेसे -III/1483-85

दिनांक :- 10.4.15

आदेश

श्री विजय गोयल, कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन एवं कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसरण में निम्नांकित तालिका अनुसार कुल 34 दिवस का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम- 96(1) एवं वित्त (राजस्व) विभाग के मेमोरेन्डम एफ.1(2)एफ.डी.(रूल्स)/06 पार्ट-I दिनांक 22.05.2009 एवं 11.06.2014 के क्रम में स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	अवैतनिक अवकाश अवधि	
	दिनांक	कुल अवधि दिवस
1.	06.05.2013 से 10.05.2013 तक	05
2.	20.05.2013 से 06.06.2013 तक	18
3.	10.06.2013 से 20.06.2013 तक	11
	Total	34

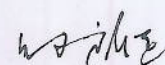

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(289/2011)/अलेसे -III/1483-85

दिनांक :- 10.4.15

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर को उनके पत्र क्रमांक 343 दिनांक 16.03.2015 के क्रम में श्री विजय गोयल, कनिष्ठ लेखाकार को स्वीकृत असाधारण अवकाश का सेवा पुस्तिका में आवश्यक इन्द्राज करने हेतु प्रेषित है।
2. श्री विजय गोयल, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. ☒ एसीपी (कम्प्यूटर अनुभाग) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।


(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)